

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० 133 /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2009
दिनांक: देहरादून = 26 फरवरी, 2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008(अधिनियम संख्या 13, 2008) की धारा 16, संपादित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन नियमों में, जब तक कि, विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;
(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

ब्यौहारी का पंजीकरण

3. (1) कोई ब्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है तथा पहले से ही उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीकृत है, अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए दायी नहीं होगा, तथापि, उससे धारा 8 के अधीन

कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप-क में सूचना प्रेषित करना अपेक्षित होगा।

(2) कोई ब्यौहारी जो उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीकृत नहीं है तथा अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उस तारीख से, जिससे ऐसा ब्यौहारी इस प्रकार दायी हो गया है, के तीस दिन की अवधि के भीतर उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन विहित प्ररूप-1 में रु० 200/- (दो सौ रूपया) पंजीयन फीस के जमा के साक्ष्य के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा;

परन्तु यह कि ब्यौहारी जो विहित समय के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र देने में असमर्थ रहता है, अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस उपनियम में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए रु० 100/- (एक सौ रूपये) की दर से विलम्ब फीस जमा करने के बाद प्रार्थना पत्र दे सकता है।

(3) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थना पत्र व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही एवं पूर्ण है तथा फीस अथवा विलम्ब फीस, यदि कोई हो, जमा कर दी गयी है, तो वह, जब तक कि जमानत मांगना आवश्यक न समझे, ऐसी जांच, जैसी कि ठीक समझे, करने के बाद ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है तथा प्ररूप-ख में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है।

(4) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जमानत मांगी गयी है तो ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधान होने पर जमानत जमा करने के बाद ही ब्यौहारी को पंजीकृत किया जायेगा तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) पंजीयन प्रार्थना पत्र के मंजूर किये जाने, संशोधन तथा निरस्त किये जाने अथवा पंजीयन प्रार्थना पत्र के अस्वीकार किये जाने अथवा जमानत की मांग हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 15, 17, 18, 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित

लागू होंगे।

(6) पंजीयन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण ऐसे ब्यौहारी के द्वारा किसी अवधि के लिए कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य देयों के भुगतान के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसे कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य किसी देय का निर्धारण निरस्तीकरण से पूर्व अथवा बाद में किया जाये।

विवरणियों का प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्धारण

4. (1) प्रत्येक ब्यौहारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है कर निर्धारक प्राधिकारी को कर अवधि के लिए अपनी विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी को प्ररूप-ग में दाखिल करेगा।

(2) विवरणियों, वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण तथा कर निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 11 तथा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 25 एवं 26 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम के अधीन सभी ब्यौहारियों पर लागू होंगे।

(3) कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जांच जैसी कि वह आवश्यक समझे, कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ब्यौहारी के माल के सकल मूल्य तथा धारा 5 के अधीन कर के विलोमितिकरण की धनराशि का अवधारण करेगा तथा देय कर एवं विलोमित कर यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

परन्तु यह कि ऐसे ब्यौहारी के मामले में, जो कि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करता है, कर निर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर निर्धारण आदेश पारित कर सकता है तथा देय कर एवं विलोमित कर का निर्धारण कर सकता है;

परन्तु यह और कि माल के सकल मूल्य तथा विलोमित कर की धनराशि का सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक के आधार पर अवधारण करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी, ब्यौहारी द्वारा दाखिल विवरणियों, यदि कोई हो, के स्वीकार न किये जाने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा उसका उत्तर दाखिल करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(4) यदि ब्यौहारी द्वारा जमा किये गये कर की कुल धनराशि निर्धारित कर की धनराशि से भिन्न है तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तर की धनराशि/वसूल अथवा, जैसी भी स्थिति हो, जमा की जायेगी।

**कर के उद्ग्रहण
का विलोमितिकरण**

5. (1) राज्य के भीतर सम्बन्धवहारी के मामले में कोई ब्यौहारी जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ग) तथा (ड) के अधीन कर के उद्ग्रहण के विलोमितिकरण का दावा करता है, क्रेता अथवा परेषती ब्यौहारी से प्ररूप-घ में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और उसके मूल माग को प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के बाद तीन माह के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को दाखिल करेगा; परन्तु यह कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्बन्धित ब्यौहारी पर्याप्त कारणों से उपरोक्त समय के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ था तो वह ऐसे प्रमाण-पत्र को ऐसे अग्रतर समय, जो कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु विहित समय के बाद न हो, ऐसे प्रमाण-पत्र को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 30 के उपनियम (2) से उपनियम (16) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (3) उपनियम (1) के अधीन विहित एक एकल प्ररूप में अधिकतम 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा के अध्वधीन कर निर्धारण वर्ष के दौरान किये गये सम्बन्धवहार आच्छादित होंगे किन्तु यह मौद्रिक सीमा निम्नलिखित प्रकार के ब्यौहारियों पर लागू नहीं होगी:-
- (क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग, किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा उत्तराखण्ड अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा गठित कोई नियम अथवा उपक्रम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसका वार्षिक आवर्त 5 करोड़ रुपये अथवा अधिक हो; अथवा
- (ख) ब्यौहारी, जिसका सालाना आवर्त 25 करोड़ रुपये अथवा अधिक है।
- (4) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के मामले में कोई ब्यौहारी, जो कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख),(घ) तथा (ड) के अधीन कर के विलोमितिकरण का दावा करता है, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उपनियम (1),(5),(10),(11) तथा (11क), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी को दाखिल किया गया घोषणा पत्र अथवा प्रमाण-पत्र कर के विलोमितिकरण

का पर्याप्त सबूत होगा।

(5) कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 41, 42 तथा 43 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

भुगतान की रीति

6. उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के नियम 19 तथा 20 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान की रीति के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

विनिर्माता द्वारा कर वसूली तथा जमा किया जाना

7. उत्तराखण्ड का विनिर्माता जो कि उत्तराखण्ड में किसी व्यक्ति को धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल का विक्रय, सम्भरण अथवा अन्यथा प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार है—


(क) वह सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त करेगा और उसे राजकीय कोषागार में अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख से पूर्व जमा करेगा;

परन्तु यह कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 20 तारीख तक संग्रहीत कर उस माह की 25 तारीख तक जमा किया जायेगा;

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व ऐसे आवर्त की मासिक विवरणी फार्म (ड) में उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना देते हुए कर जमा करने के सबूत हेतु कोषागार चालान के साथ दाखिल करेगा;

(ग) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट बिक्री बीजक ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को जारी करेगा, जिसमें प्रवेश कर अलग से दिखाया जायेगा;

(घ) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 60 में विनिर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा जारी बिक्री बीजक अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का पर्याप्त सबूत माना जायेगा।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या- 133 /XXVII(8) /वाणिज्य कर(वैट) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

2- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त प्रवेश कर नियमावली की सूचना सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों, टैक्स बार संघों व विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250-250 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सी०एच०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

XXXXXX



प्ररूप-क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम(1) देखें]

उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन पंजीयन सम्बन्धी सूचना देने के लिए प्ररूप।

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी,
सर्किल/सैक्टर.....

मैं.....(पूरा नाम), पुत्र श्री.....(पूरा नाम) स्वामी/फर्म का साझीदार/
हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब का कर्ता/ प्रबन्ध निदेशक / लिमिटेड कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अधिकृत
निदेशक / सोसाइटी का अध्यक्ष अथवा सचिव / क्लब अथवा संगम (एसोसिएशन) /
कार्यालयाध्यक्ष/ब्यौहारी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से
अधिकृत अधिकारी/ प्राधिकारी अथवा निकाय(बॉडी) के प्रधान अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत
प्रधान अधिकारी अथवा अधिकारी जो सर्वश्री.....के नाम तथा अभिनाम के अन्तर्गत कारबार चला
रहे हैं जिसका कारबार का मुख्य स्थल.....(पूर्ण पता) पर आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित है
तथा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के
अधीन पंजीकृत है और मेरी पंजीयन संख्या.....है जो किसे वैध है।

अधिनियम के अधीन कर देय माल का विवरण:-

प्रयोजन	माल का नाम
1- उपभोग के प्रयोजनार्थ
2- उपयोग के प्रयोजनार्थ
3- विक्रय के प्रयोजनार्थ

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से सही एवं पूर्ण हैं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....
ब्यौहारी के सम्बन्ध में प्रास्थिति.....
स्थायी पता.....
.....

स्थान.....
दिनांक.....

प्ररूप-ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर
नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें

प्रतिपण

पंजीयन संख्या.....
ब्यौहारी का नाम.....
कारबार का मुख्य स्थल.....
शाखाएं
(1).....
(2).....
(3).....

प्रार्थना पत्र की तारीख.....
प्रमाण पत्र स्वीकृति की तारीख.....
कर निर्धारक प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम.....
सर्किल/खण्ड.....

प्ररूप-ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर
नियम, 2009 के नियम 3 का उपनियम (3) देखें

ब्यौहारी की प्रति

धारा 8 के अधीन पंजीयन का प्रमाण-पत्र
पंजीयन संख्या.....
में, कर निर्धारक प्राधिकारी सर्किल/खण्ड.....
ऐतद्द्वारा सर्वश्री.....को.....से प्रभावी,
पंजीकृत करता हूँ। पंजीयन प्रमाण-पत्र कारबार
के बन्द होने अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण
की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, तक प्रवृत्त
रहेगा। कारबार का मुख्य स्थल.....पर
स्थित है और कारबार सर्वश्री.....के नाम
तथा अभिनाम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।
शाखाएं निम्नवत् हैं:-

1-.....
2-.....
3-.....
तारीख.....हस्ताक्षर.....
मुहर.....
कर निर्धारक प्राधिकारी का नाम.....
सर्किल/खण्ड.....

Uu

प्ररूप-ग

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 4 का उपनियम(1) देखें]
कर विवरणी मासिक / त्रैमासिक

(केवल बड़े अक्षरों में भरा जाय)

1.	कर निर्धारण वर्ष	-							
2.	को समाप्त होने वाली कर अवधि	-							
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पदनाम	-							
4.	सर्किल/खण्ड का नाम	-							
5.	ब्यौहारी/फर्म का नाम/पता	-							
6.	करदाता की पहचान (टिन) संख्या	-							

7. स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर की संगणना

क्र० सं०	माल का नाम	स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर का ब्यौरा				
		उत्तराखण्ड के बाहर से	स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किन्तु उत्तराखण्ड के भीतर	स्थानीय क्षेत्र के भीतर से		
		धारा 2 की उपधारा(1) के अधीन यथा परिभाषित माल का मूल्य (रु० में)	विनिर्माता से माल का मूल्य (रु० में)	अन्य से धारा 2 की उपधारा(1) के अधीन यथा परिभाषित माल का मूल्य (रु० में)	विनिर्माता से माल का मूल्य (रु० में)	अन्य से धारा 2 की उपधारा(1) के अधीन यथा परिभाषित माल का मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
योग						
स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त माल का कुल मूल्य एवं उस पर कर का ब्यौरा						
माल का मूल्य (रु० में)	कर की दर	कर की धनराशि	छूट(रिबेट) का दावा, यदि कोई हो	विनिर्माता को भुगतान किया गया कर	कोषागार में भुगतान किया गया कर	शेष

44

8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14[10-(11+12+13)]

8. उपभोग, उपयोग, विक्रय अथवा अन्यथा निस्तारित माल का ब्यौरा

क्र० सं०	माल का नाम	ब्यौहारी द्वारा उपभोग, उपयोग, विक्रय अथवा अन्यथा निस्तारित माल का ब्यौरा				
		अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान अथवा निर्यात के दौरान अथवा विक्रय के अन्यथा माल का अन्तरण	उत्तराखण्ड के भीतर किन्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर विक्रय	स्थानीय क्षेत्र के भीतर विक्रय	उपभोग अथवा उपयोग किये गये माल का मूल्य	धारा 5 की उपधारा(1) के खण्ड(क),(ग) तथा (ड) तथा उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अन्यथा निस्तारित माल का मूल्य (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
योग						

9. जमा किये गये कर का ब्यौरा

बैंक/शाखा का नाम	कोषागार चालान सं०	दिनांक	कर की धनराशि												
योग	अंकों में														
योग	शब्दों में														

संलग्नक-

- 1- कोषागार चालान।
- 2- अनुलग्नक 'क'-क्रमांक 7 के स्तम्भ 3,4,5,6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्भ के लिए क्रय के ब्यौरे के लिए।
- 3- अनुलग्नक 'ख'-क्रमांक 8 के स्तम्भ 3,4,5,6 एवं 7 में प्रत्येक स्तम्भ के लिए विक्रय के ब्यौरे के लिए।
- 4- अनुलग्नक 'ख'- क्रमांक 7 के स्तम्भ 11 में दावाकृत छूट(रिबेट) के ब्यौरे के लिए।

घोषणा

मैं.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....प्रास्थिति.....(अर्थात् स्वामी, निदेशक, साझीदार इत्यादि) एतद्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से इस विवरणी में दिए गये सभी विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं और कोई भी बात न तो जानबूझकर छिपाई गई है और न गलत रूप से कही गयी है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
प्रास्थिति.....

अनुलग्नक - के

प्ररूप-ग के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3,4,5,6, तथा 7 के विरुद्ध क्रय की सूची.....कर अवधि.....से के लिए अलग से दाखिल किया जाना है।

1-	क्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता																		
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2-	टिन																		
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-													
----	------------------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4-	कर अवधि समाप्ति की तारीख					-						-	2	0					
----	--------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

5-		क्रय का विवरण									
क्र० सं०	विक्रयकर्ता ब्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / बिक्री बीजक / चालान सं०	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मू०व०क० (द्वैट) की धनराशि	प्रदेश कर की धनराशि	रिबेट की धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 प्रास्थिति.....
 ब्यौहारी का नाम एवं पता.....

66

अनुलग्नक- ख

प्ररूप-ग के क्रमांक 8 के स्तम्भ 3,4,5,6, तथा 7 के विरुद्ध क्रय की सूची.....कर अवधि.....से के लिए अलग से दाखिल किया जाना है।

1-	विक्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता																	
----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2-	टिन																	
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0		-													
----	------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4-	कर अवधि समाप्ति की तारीख			-				-	2	0								
----	--------------------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5-		विक्रय का विवरण						
क्र०सं०	क्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता	टिन	विल/बिक्री बीजक/चालान सं०	तारीख	वस्तु का नाम	माल की विक्रय कीमत मूल्य (रु० में)	तत्समान क्रय धनराशि (रु० में)	विलोमित कर, यदि कोई हो, (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 प्रास्थिति.....
 ब्यौहारी का नाम एवं पता.....

Lu

अनुलग्नक- ग
(क्रमांक 7 के स्टम्भ 11 में दावाकृत छूट(रिबेट) का ब्यौरा)

1-	क्रेता ब्यौहारी का नाम एवं पता																		
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2-	दिन																		
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0		-														
----	------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4-	कर अवधि समाप्ति की तारीख			-				-	2	0									
----	--------------------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5-		क्रय का विवरण									
क्र० सं०	विक्रयकर्ता ब्यौहारी का नाम एवं पता	दिन	बिल / विक्री बीजक / चालान सं०	तारीख	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक में दिखायी गयी मू०व०क्र० (वैट) की धनराशि	निहित प्रवेश कर की धनराशि	दावाकृत छूट (रिबेट) की धनराशि, यदि कोई हो.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 प्रास्थिति.....
 ब्यौहारी का नाम एवं पता.....

प्ररूप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें]

क्रम सं०.....

प्रतिपत्र

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- 1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
- 2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम
- 3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर
- 4- जारी करने की तारीख
- 5- ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता (दिन).....
- 6- अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रमावी होने की तारीख

(ब्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

- 1- मैं.....(पूरा नाम), एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या..... है जो..... से प्रमावी है।
- 2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने सर्वश्री..... से बिल/बिक्री बीजक/वातान सं०..... दिनांक..... से..... रु० मूल्य का..... (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर-
*(क) रु०..... कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं०..... तारीख..... द्वारा..... में (बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) भुगतान किया गया है।
*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री..... को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा पत्र सं०..... तारीख..... प्राप्त किया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें]

क्रम सं०.....

द्वितीय प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- 1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
- 2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम
- 3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर
- 4- जारी करने की तारीख
- 5- ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता (टिन).....
- 6- अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रभावी होने की तारीख

(ब्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

- 1- मैं..... (पूरा नाम), एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या..... है जो..... से प्रभावी है।
- 2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने सर्वश्री..... से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं०..... दिनांक..... से..... रु० मूल्य का..... (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर-
*(क) रु०..... कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं०..... तारीख..... द्वारा..... में बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) मुगतान किया गया है।
*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री..... को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा पत्र सं०..... तारीख..... प्राप्त किया गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

प्रास्थिति.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 5 का उपनियम(1) देखें]

क्रम सं०.....

मूल प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र)
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- 1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
- 2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम
- 3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर
- 4- जारी करने की तारीख
- 5- ब्यौहारी जिसको जारी किया गया उसका नाम तथा पता (टिन).....
- 6- अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीयन संख्या तथा इसके प्रभावी होने की तारीख

(ब्यौहारी द्वारा भरा जायेगा)

- 1- मैं..... (पूरा नाम), एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी फर्म अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा इसकी पंजीयन संख्या..... है जो..... से प्रभावी है।
- 2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने सर्वश्री..... से बिल/बिक्री बीजक/चालान सं०..... दिनांक..... से..... रु० मूल्य का..... (माल का नाम लिखें) क्रय किया है/प्राप्त किया है तथा इस माल पर-
*(क) रु०..... कर मेरे द्वारा कोषागार चालान सं०..... तारीख..... द्वारा..... में (बैंक/शाखा/कोषागार/उपकोषागार का नाम एवं पता) भुगतान किया गया है।
*(ख) हमारी फर्म के ऊपर कर की देयता नहीं है क्योंकि माल सर्वश्री..... को बिक्री किया गया है तथा उनसे घोषणा पत्र सं०..... तारीख..... प्राप्त किया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

प्रास्थिति.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 133 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2009 dated 26 February , 2009 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 133 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2009

Dehradun :: Dated: : 26 February , 2009

Notification

In exercise of powers conferred by section 16 of the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008(Act no. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), and in supersession of the Uttarakhand(The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Rules, 1999) Adaptation and Modification Order, 2007, as amended from time to time, the Governor is pleased to make the following rules:-

**THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS
RULES, 2009**

- | | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Short title and commencement. | 1. | (1) These Rules may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. |
| Definitions | 2. | (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Act" means the Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008.
(b) "Form" means a form appended to these rules.
(c) "Section" means a section of the Act.
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act. |
| Registration of dealer | 3. | (1) Any dealer, who is liable to pay tax under the Act and is already registered under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, or under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall not be liable to apply for registration under the Act. However, he shall be required to furnish the information in Form-A to the assessing authority under section 8. |

(2) Any dealer who is not registered under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, or under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and is liable to pay tax under the Act shall, for issue of registration certificate, apply to the assessing authority within a period of thirty days from the date on which such dealer has become so liable, in Form-1 prescribed under the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 along with proof of deposit of registration fee of two hundred rupees;

Provided that a dealer who fails to apply for issue of registration certificate within the time prescribed, without prejudice to any other liability under the Act, may apply after depositing late fee at the rate of rupees one hundred for every month or part thereof from the date of expiry of the period referred to above in this sub-rule.

(3) If the assessing authority is satisfied that the application is in order, the information furnished is correct and complete and the fee or late fee, if any, payable has been deposited, he may, unless he considers it necessary to demand security after making such enquiry as he deems fit, register the dealer and grant him a certificate of registration in Form-B.

(4) If the assessing authority has demanded security, the dealer shall be registered and be granted a registration certificate only if the security so demanded has been furnished to the satisfaction of such assessing authority.

(5) For grant, amendment and cancellation of registration certificate or rejection of registration application or the demand of security the provisions of section 15,17,18,19 and 20 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply.

(6) The cancellation of a certificate of registration shall not affect the liability of such dealer to pay the tax, penalty or any other dues due for any period whether such tax, penalty or any other dues are assessed before or after the cancellation.

**Submission of
returns and
assessment of
tax**

4. (1) Every dealer liable to pay tax under the Act, shall submit to the assessing authority his returns for a tax period in Form-C.
- (2) For submission of returns, annual return and assessment of tax, the provisions of rule 11 of the

Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and section 25 and section 26 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply to all dealers under the Act.

(3) Upon the expiry of the assessment year, the assessing authority after such enquiry, as he may deem necessary, shall determine the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax under section 5 of the dealer in respect of assessment year and shall assess the tax payable and reversal of tax if any:

Provided that in the case of a dealer who discontinues business during any assessment year, the assessing authority may make an assessment order and assess the tax payable and reversal of tax before the expiry of the assessment year:

Provided further that, before determining the aggregate value of the goods and amount of reversal of tax to the best of his judgment, the assessing authority shall issue a show cause notice to the dealer for non-acceptance of the returns, if any, submitted by the dealer, and shall give him a reasonable opportunity of furnishing his reply thereto.

(4) If the tax assessed differs from the total amount of tax deposited by the dealer, the difference shall be realized or refunded, as the case may be, by the assessing authority in accordance with the provisions of the Act.

Reversal of levy of tax

5- (1) In case of the transaction within the State, any dealer who claims reversal of levy of tax under clauses (a),(c) and (e) of sub-section (1) of section 5 shall obtain a certificate in Form-D from the purchasing or consignee dealer and submit the original thereof to the assessing authority within three months after the expiry of the period to which the certificate relates:

Provided that if the assessing authority is satisfied that the dealer concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such certificate within the aforesaid time, he may allow such certificate to be furnished within such further time, not later than the time prescribed for filing annual return.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (16) of rule 30 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis

apply.

(3) A single Form prescribed under sub-rule (1) shall cover the transaction made during the financial year subject to maximum monetary limit of rupees five lakhs, but this monetary limit shall not apply for the following types of dealers:-

(a) a department of the Central Government or the State Government or a Corporation or Undertaking established or constituted by or under a Central Act or an Uttarakhand Act or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, having any yearly turnover of rupees five crores or more, or

(b) dealer having an yearly turnover of rupees twenty five crores or more.

(4) In case of inter-State trade and commerce or export out of the territory of India, any dealer who claims the reversal of tax under clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5, the declaration or certificate submitted under sub-rules (1),(5), (10), (11) and (11a) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, as the case may be, to the assessing authority, shall be the sufficient proof of the reversal of tax.

(5) For the purpose of the reversal of tax levy, the provisions of rule 41,42 and 43 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply.

Manner of Payment

6. The Provisions of rules 19 and 20 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall mutatis-mutandis apply for manner of payment of tax due under the Act.

Realisation and deposit of tax by the manufacturer

7. The manufacturer in Uttarakhand responsible for selling, supplying or otherwise dispatching the goods notified by the State Government, under sub-section (1) of section 12, to any person in Uttarakhand shall-

(a) receive the amount of tax payable on the value of goods through a demand draft in the name of the concerned assessing authority and shall deposit the same into the Government Treasury on or before 20th date of the next succeeding month:

Provided that, the tax so collected upto 20th of March for the tax period ending on 31st of March, shall

be deposited upto 25th of that month;

- (b) submit to the assessing authority on or before 20th date of next succeeding month, a monthly return of such turnover in Form-E giving detailed information in the Annexure thereof, along with the treasury challan for proof of the deposit of the tax;
- (c) issue a sale invoice specified in section 60 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 to the dealer or the person, as the case may be, in which entry tax shall be shown separately;
- (d) the sale invoice issued by the manufacturer, as specified in section 60 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall be treated as sufficient proof of payment of tax due under the Act.

Alok Kumar Jain

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

XXXX

Form-A

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 3 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules, 2009]

Form for giving information regarding registration under the Uttarakhand(The Uttaranchal /Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007.

To,

The Assessing Authority,
Circle/Sector-----

I,------(Full Name), son of -----(Full Name) Proprietor /Partner of the Firm/ Karta of Hindu Joint Family/ Managing Director authorised by the Board of Directors of the limited Company/ President or Secretary of the Society /Club or Association/ Head of Office/Officer duly authorised by the Head of the Office of the -----Department of the Central or State Government-Dealer / Principal Officer or Officer duly authorised by the Principal Officer of the authority or the Body carrying on the business under the name and style of Sarvashri-----the principal place of business whereof is situated at------(complete address) within your jurisdiction, is registered under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and my registration number is-----which is valid from-----

Particulars of the goods liable to tax under the Act:-

Purpose	Name of goods
1- for the purpose of consumption	_____
2- for the purpose of use	_____
3- for the purpose of sale	_____

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Signature of applicant.....
Status in relation to the dealer.....
Permanent Address.....
.....

Place.....

Date.....

Form-B

Department of Commercial Taxes, Government
of Uttarakhand

[See sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand
Tax on Entry of Goods Into Local Areas Rules,
2009]

Counterfoil

Registration No.....

Name of dealer.....

Principal place of business.....

Branches

(1).....

(2).....

(3).....

Date of Application.....

Date of grant of the certificate.....

Signature of assessing authority.....

Name of assessing authority

Circle/ Sector.....

Form-B

Department of Commercial Taxes,
Government of Uttarakhand

[See sub-rule (3) of rule 3 of The Uttarakhand
Tax on Entry of Goods Into Local Areas
Rules, 2009]

Dealer's copy

Certificate of registration under section 8

Registration No.....

I, assessing authority of.....Circle do

hereby register M/s..... With effect

from.....The registration shall

remain inforce till the date of closer of

business or the date of cancellation of

registration, as the case may be.

The principal place of business is situated

at.....and the business carried on under

the name and style of M/s.....

There are the following branches

1-.....

2-.....

3-.....

DateSignature.....

Seal..... Name of assessing authority.....

Circle/ Sector.....

Form-C

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 4 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Return of Tax- monthly / quarterly

[To be filled in block letters only]

1.	Assessment year	-													
2.	Tax period Ending on	-													
3.	Designation of Assessing Authority	-													
4.	Name of Circle/ Sector	-													
5.	Name/ address of the dealer/ Firm	-													
6.	Taxpayer's identification Number [Tin]	-													

7- Receipt of goods into local area and calculation of Tax

Sl. No.	Name of goods	Receipts of goods into local area and details of Tax				
		*From Ex Uttarakhand	From outside the local area but within Uttarakhand	From within local area		
				From manufacturers	From others	From manufacturers
Value of goods as defined under clause(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	Value of goods [in Rs.]	Value of goods as defined under clause(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]	Value of goods [in Rs.]	Value of goods as defined under clause(h) of sub-section (1) of section 2 [in Rs.]		
1	2	3	4	5	6	7
Total						

Total value of goods received into local area and details of tax thereon						
Value of goods [in Rs.]	Rate of Tax	Amount of Tax	Rebate claimed, if any,	Tax paid to manufacturer	Tax paid in to treasury	Balance
8(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14[10-(11+12+13)]

8- Details of goods consumed, used, sold or otherwise disposed

Sl. No.	Name of goods	Consumption, use, sale or otherwise disposal of goods by dealer				
		Sale in the course of inter-state trade and commerce or in the course of exports or transfer of goods otherwise than by way of sale	Sale within Uttarakhand but outside local area	Sale within local area	Value of goods consumed or used	Value of goods otherwise disposed as specified in clause (a),(c) and (e) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 5
1	2	3	4	5	6	7
Total						

9. Details of Tax Deposited

Name of Bank/Branch	Treasury Challan No.	Date	Amount of Tax											
Total	In figure													
Total	In words													

Enclosures-

- 1- Treasury Challan.
- 2- Annexure A for details of purchase in column 3,4,5,6 and 7 of serial 7 separately for each column.
- 3- Annexure B for details of sale in column 3,4,5,6 and 7 of serial 8 separately for each column.
- 4- Annexure B for details of rebate claimed in column 11 of serial 7.

DECLARATION

I.....S/o, D/o, W/o.....Status.....(ie. proprietor, director, partner etc.) do hereby declare and verify that, to the best of my knowledge and belief all the statements and figures given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Place.....

Date.....

Signature.....

Status.....

Annexure- A

(List of purchases against Col. 3/4/5/6/7 of serial no. 7 of Form C to be filled separately for the Tax Period.....of Year20.....20.....)

1-	Name and address of purchasing dealer																			

2.	TIN	-																	
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Assessment Year	-																	
----	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Expiry Date of Tax Period	-																	
----	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.		Details of Purchase							
Sl. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax	Amount of Rebate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Authorised person.....
 Full Name.....
 Status.....

Handwritten mark

Annexure-B

(List of purchases against Col. 3/4/5/6/7 of serial no. 8 of Form C to be filled separately for the Tax period.....of Year20.....20.....)

1-	Name and address of purchasing dealer																				

2.	TIN	-																		
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Assessment Year	-																		
----	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Expiry Date of Tax Period	-																		
----	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5-		Details of Sales							
Sl. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Sale price of Goods (in Rs.)	Correspon -ding purchase amount (in Rs.)	Reversal of Tax, if any, (in Rs.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Signature of Authorised person.....
 Full Name.....
 Status.....

tu

Annexure-C
(Details of Rebate claimed in Col. 11 of Sl. No. 7)

1-	Name and address of purchasing dealer																				

2.	TIN	-																		
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Assessment Year	-																		
----	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Expiry Date of Tax Period	-																		
----	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.		Details of Purchase								
Sl. No.	Name and Address of selling dealer	TIN	Bill/ sale invoice/ challan no.	Date	Name of Commodity	Value of Goods	Amount of VAT shown in the sale invoice	Amount of Entry Tax involved	Amount of Rebate, if any.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Signature of Authorised person.....
 Full Name.....
 Status.....

tu

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

SR. No.....

COUNTERFOIL

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)
(To be filled by the office)

- 1- Signature of issuing officer
- 2- Name of issuing officer
- 3- Seal of the issuing officer
- 4- Date of issue
- 5- Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)
- 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

- 1- I,.....(full name), do hereby certify that our said Firm is registered under the Act/ The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and its registration number is.....which is effective from.....
- 2- I further certify that the said Firm has purchased /received.....(name of the goods) worth Rs.....from M/s.....vide bill/ sale invoice/ challan number.....dated.....and on these goods-
 - *(a) tax rupees.....has been paid by me vide Treasury Challan Number.....
 - Dated.....in.....(Name and Address of the Bank/ Branch/ Treasury/ Sub-Treasury)

*(b) tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s.....and declaration Form No.....dated.....has been received from him.

Place.....
Date.....

Signature.....
Status.....

*Strike off whichever is not applicable.

ca

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Sl. No.....

DUPLICATE

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)
(To be filed by the office)

- 1- Signature of issuing officer
- 2- Name of issuing officer
- 3- Seal of the issuing officer
- 4- Date of issue
- 5- Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)
- 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

- 1- I,.....(full name), do hereby certify that our said Firm is registered under the Act/ The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and its registration number is.....which is effective from.....
- 2- I further certify that the said Firm has purchased /received.....(name of the goods) worth Rs.....from M/s.....vide bill/ sale invoice/ challan number.....dated.....and on these goods-
 - * (a) tax rupees.....has been paid by me vide Treasury Challan Number..... Dated.....in(Name and Address of the Bank/ Branch/ Treasury/ Sub-Treasury)
 - * (b) tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s.....and declaration Form No.....dated.....has been received from him.

Place.....
Date.....

Signature.....
Status.....

*Strike off whichever is not applicable.

ka

Form-D

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (1) of rule 5 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Sl. No.....

ORIGINAL

(Certificate to be issued by the purchaser to seller)
(To be filled by the office)

- 1- Signature of issuing officer
- 2- Name of issuing officer
- 3- Seal of the issuing officer
- 4- Date of issue
- 5- Name and Address of the dealer to whom issued (TIN)
- 6- Registration Number under the Act or under The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and the date from which it is effective

(To be filled by the dealer)

- 1- I,.....(full name), do hereby certify that our said Firm is registered under the Act/ The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and its registration number is.....which is effective from.....
- 2- I further certify that the said Firm has purchased /received.....(name of the goods) worth Rs.....from M/s.....vide bill/ sale invoice/ challan number.....dated.....and on these goods-
 - *(a) tax rupees.....has been paid by me vide Treasury Challan Number..... Dated.....in(Name and Address of the Bank/ Branch/ Treasury/ Sub-Treasury)
 - *(b) tax liability is not on our Firm because the goods have been sold to M/s.....and declaration Form No.....dated.....has been received from him.

Place.....
Date.....

Signature.....
Status.....

*Strike off whichever is not applicable.

Handwritten mark

Form-E

Department of Commercial Taxes, Government of Uttarakhand

[See sub-rule (b) of rule 7 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009]

Return of the turnover on which tax has been realized for the month of.....

- 1- Name of the Manufacturer
- 2- Full address
- 3- Name and status of the person submitting the return
(i.e. Proprietor, Partner, Director etc.)
- 4- Name of commodity on which tax has been realized
- 5- Aggregate of the value of the goods supplied
during the month
- 6- Value of goods supplied on which no Tax has been
collected(with reasons)
- 7- Value of goods on which Tax has been collected Rs.....
- 8- Amount of Tax collected Rs.....
- 9- Amount of Tax deposited Rs.....

Challan No.....
Dated.....
Name of the Bank/ Branch.....

Declaration

Ibeing known as the.....(Proprietor, Partner, Director etc.) of the Firm
M/sdo hereby declare and verify that, to the best of my knowledge and belief all the
statements and figures given in this return are true and complete and nothing has been willfully
omitted or wrongly stated.

Place.....
Date.....

Signature.....
Status.....

Annexure

Turnover of the month of.....

Sl.No.	Name and address of the dealer	Bill/ sale invoice no.	Date	Value of goods (in Rs.)	Tax realised	Number and date of bank draft
1	2	3	4	5	6	7
Aggregate of the value of goods and tax realised.						

Enclosure

1-Treasury Challan

Signature.....
Status.....

XXXX

प्ररूप-ड

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

[उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियम, 2009 के नियम 7 का उपनियम(ख) देखें]

आवर्त की विवरणी जिस परमाह के लिए कर वसूल किया गया है

- 1- विनिर्माता का नाम
- 2- पूर्ण पता
- 3- विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम एवं प्रास्थिति
(स्वामी, साझीदार, निदेशक इत्यादि)
- 4- वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया
- 5- माह के दौरान सम्भरित माल के सकल मूल्य का योग
- 6- सम्भरित माल का मूल्य जिस पर कोई कर संग्रहीत नहीं किया गया है(कारणों सहित)
- 7- उस माल का मूल्य जिस पर कर संग्रहीत किया गया है
- 8- संग्रहीत कर की धनराशि
- 9- जमा किये गये कर की धनराशि

चालान सं०.....
तारीख.....
बैंक/शाखा का नाम.....

घोषणा

मैं..... जो फर्म सर्वश्री.....(स्वामी, साझीदार, निदेशक इत्यादि) के रूप में ज्ञात हूँ.....
एतद्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास से सभी
विवरण तथा आंकड़े जो कि इस विवरणी में दिये गये हैं, सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर नहीं
छुपाया गया है और न ही गलत रूप से कहा गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
प्रास्थिति.....

अनुलग्नक

माह का आवर्त.....

क्र०सं०	ब्यौहारी का नाम एवं पता	बिल/बिक्री बीजक संख्या	तारीख	माल का मूल्य (रु० में)	वसूल किया गया कर	बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तारीख
1	2	3	4	5	6	7
माल का सकल मूल्य एवं वसूल किया गया कर						

संलग्नक

1-कोषागार चालान

हस्ताक्षर.....
प्रास्थिति.....

XXXXXX

